भारत सरकार

योजना मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 279

दिनांक 27.11.2024 को उत्तर देने के लिए

एसईएचईआर कार्यक्रम

279. **श्री जी.एम. हरीश बालयोगी:**

क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एसईएचईआर कार्यक्रम के तहत महिलाओं को वित्तीय और ऋण शिक्षा प्रदान करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त कार्यक्रम के लाभार्थियों की संख्या का राज्य-वार विशेषकर आंध्र प्रदेश से संबंधित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त कार्यक्रम एससी/एसटी/ओबीसी और पीडब्ल्यूडी समुदाय की महिलाओं को कोई विशिष्ट लाभ प्रदान करता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने उक्त कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए कोई जागरुकता संबंधी पहल की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इसके लिए आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय;
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय एवं
राज्यमंत्री, संस्कृति मंत्रालय

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) से (ङ) महिला उद्यमिता कार्यक्रम (डब्ल्यूईपी) एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी मंच है जिसे भारत में महिला उद्यमियों के लिए एक सक्षम इकोसिस्टम बनाने के उद्देश्य से नीति आयोग में शुरू किया गया था। सेहर एक क्रेडिट शिक्षा कार्यक्रम है जिसे ट्रांसयूनियन सिबिल द्वारा डब्ल्यूईपी के तत्वावधान में उद्यमिता से संबंधित महिलाओं को वित्तीय साक्षरता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम समावेशी है और सभी महिलाओं के लिए खुला है। सेहर कार्यक्रम के तहत क्रेडिट जागरूकता मॉड्यूल भौतिक और डिजिटल मोड के माध्यम से प्रसारित किए जाते हैं। एक

सार्वजनिक निजी भागीदारी पहल के रूप में, यह सरकार के मंत्रालयों/विभागों और अन्य उद्योग हितधारकों के साथ सहयोग स्थापित करने का प्रयास करता है। अब तक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की एमएसएमई कार्य निष्पादन (आरएएमपी) बढ़ाने और तेज करने संबंधी योजना और एसआईडीबीआई के साथ सहयोग के माध्यम से क्लस्टर-स्तरीय ज्ञान साझाकरण सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। भारत सरकार की ओर से सेहर कार्यक्रम के लिए कोई विशेष आबंटन नहीं किया गया है।

*****